

विधि पत्रावली

फते अहकाम अन्तर्गत विद्यम २०
आयालय सहायक कलक्टर (फारट ट्रेक), श्रीगंगानगर

कर्मचन्द बचाम आशी व अन्य

चादपत्र संख्या 2021/039

online #

अन्तर्गत धारा 53, 54, 108, 92ए राज. काश्तकारी अधि.

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कर्मचाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
15.03.2021	चादी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तार द्वारा उपस्थित आकर चादपत्र प्रस्तुत. चाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो. प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन/नोटिस जारी हो. पत्रावली दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को पेश हो.	
3/04/21	आज पीठासीन अधिकारी... आज पीठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... को पेश हो	
27/4/21	आज पीठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... को पेश हो	
7/7/21	आज बार सघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... को पेश हो	
29/7/21	अभिमत बारी उपस्थित, प्रतिवादीगण की जारी सम्मन अद्य लागू हुए, बारी कर्मिक को पुनः सम्मन तलबना अद्य तक की हिजात वी गरी फावली वाले तलबी हेतु दिनांक 24/8/21 को पेश हो	
24/8/21	आज पीठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... को पेश हो	
3/09/21	आज पीठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... को पेश हो	



3-9-24

अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्तावादी
आरिन्द्रा पेशी पर आवश्यक रूप से राफेस्टर्ड
सम्मान प्रस्तुत करें। पूर्व में रुई अवसर दिना
का मुकदमा है। न्यायाधीश से आदेश अवसर दिना
जाता है। पत्रावली वास्तु तलवी हेतु दिनांक
9-10-24 को पेश हो।

09.10.24

अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता
को उपस्थिति का बिलवाली हेतु मुकदमा
परामर्श कराया कि वास्तु दिनांक 03.07.24
को अंतिम अवसर दिनांक का मुकदमा पर
वादी अधिवक्ता को उपस्थिति का बिलवाली
आदिनांक तक वादी उपस्थिति वादी अधिवक्ता
आदेश देना है कि उपस्थिति का बिलवाली
आदेश का रूप में काम। अधिवक्ता को
उपस्थिति 5 CPL के अंतर्गत कार्यवाही करने
के लक्ष्य जायेगी। परामर्श वास्तु तलवी हेतु
दिनांक 27.11.24 को पेश हो।

27.11.24

अधिवक्तावादी उपस्थित। अधिवक्ता को
उपस्थिति का बिलवाली नहीं करवाये पर आदेश
उपस्थिति 5 CPL के अंतर्गत कार्यवाही की दिशा
दी गई थी परन्तु वादी अधिवक्ता के उपस्थिति का
बिलवाली आदेशों तक नहीं करवाई है।
उपस्थिति सं. 2021/030, अधिवक्ता समिति
बनाकर आली व मन्त्र से आदेश उपस्थिति
5 CPL के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर उपस्थिति
परामर्श स्तर पर खारिज किया जाय है।
पत्रावली नस्तीकृत है। पत्रावली अधिवक्ता के
उपस्थिति से उपस्थिति की जाकर निष्पत्ती नहीं
शांति हो।